

- (ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-22218, दिनांक-12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक के लिए 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है, परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- (iii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण-पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध हो।
- (iv) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो।
- भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
5. **चयन प्रक्रिया:-** परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जायेगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः ससमय आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गयी सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।
- A. **प्रारंभिक परीक्षा:-**
- (i) प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी:-
(क) सामान्य अध्ययन- प्रश्नों की संख्या 50 होगी।
(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित- प्रश्नों की संख्या 50 होगी।
(ग) मानसिक क्षमता जाँच- प्रश्नों की संख्या 50 होगी।
सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 01 (एक) अंक का होगा।
- (ii) परीक्षा की अवधि 2 घन्टा 15 मिनट की होगी।
- (iii) सामान्य ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। यदि हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी, तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे।
- (iv) प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी यानी परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ पुस्तक ले जा सकते हैं। प्रत्येक खण्ड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी। परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम तीन पुस्तक (i) एक सामान्य ज्ञान के लिए (ii) एक गणित के लिए एवं (iii) एक सामान्य विज्ञान के लिए परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं। पुस्तकों में N.C.E.R.T./B.S.E.B./I.C.S.E एवं अन्य बोर्ड के Text Book ही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड, किसी पुस्तक की फोटोकॉपी अथवा हस्तलिखित नोट परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा भवन में प्रवेश करने के पूर्व परीक्षार्थी अपना नाम एवं अनुक्रमांक अनुमान्य पुस्तक पर अवश्य स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे। परीक्षा भवन में पुस्तकों का आदान-प्रदान पूर्णतया वर्जित है।
- (v) प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम अधोलिखित होगा:-
- खण्ड (क):- सामान्य अध्ययन:- इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें निम्नांकित के सम्बन्ध में यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:-
- (i) सम-सामयिक विषय:- वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ इत्यादि।
- (ii) भारत और उसके पड़ोसी देश:- पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आन्दोलन।
- खण्ड (ख):- सामान्य विज्ञान एवं गणित:- इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषयों से सम्बन्धित यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:-
- (i) सामान्य विज्ञान:- भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल।
- (ii) गणित:- संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएँ, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि।

खण्ड (ग):—मानसिक क्षमता जाँच:— इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:—

सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या।

B. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक—2374, दिनांक—16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक—962, दिनांक—22.01.2021 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34 (चाँतीस) प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

➤ संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यदिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा) दी जायेगी। संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि—23.06.2025 तक की अवधि की गणना कार्य अनुभव के लिए की जाएगी।

नोट:—(i) परन्तु उक्त वर्णित उम्र सीमा में शिथिलीकरण एवं कार्यानुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमानता का लाभ सिर्फ उसी पद पर नियमित नियुक्ति में दिया जायेगा, जिस पद पर संविदा नियोजन के तहत कार्य किया गया हो।

(ii) उपर्युक्त सुविधाएँ केवल विधिवत नियोजित संविदा कर्मियों को संकल्प ज्ञापांक—1003, दिनांक—22.01.2021 के आलोक में अनुमान्य होगी। ये सुविधाएँ अवैध नियुक्तियों, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों एवं बाह्य सेवा प्रदाता से सेवा प्राप्त करने के संबंध में लागू नहीं होगी।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक—12956, दिनांक—16.08.2024 के आलोक में नियमित नियुक्ति के क्रम में समान पद पर संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में शिथिलीकरण एवं कार्य अनुभव के आधार पर अंकों की अधिमानता का लाभ भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों चरणों में दिया जायेगा।

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक—2374, दिनांक—16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक—962, दिनांक—22.01.2021 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त होने के पश्चात् ही संविदा आधारित अधिमानता का अंक जोड़ा जायेगा।

(v) प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तंक एवं संविदा आधारित अधिमानता में प्राप्त अंक के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिये चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की दस गुनी होगी। कोटिवार समान कट-ऑफ-अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जायेगा।

C. प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार वैसे अभ्यर्थी नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

D. मुख्य परीक्षा— मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे:—

(क) प्रश्न पत्र 1 : विषय— सामान्य हिन्दी

(i) इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।

(ii) हिन्दी विषय में अर्हतांक 30 प्रतिशत है जो अनिवार्य है, किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी। जो उम्मीदवार इस विषय में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय, सामान्य ज्ञान (मुख्य) (प्रश्नपत्र-2) का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जायेंगे।

(iii) प्रश्न पत्र-1 की परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी होगा।

(iv) इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या— 100 होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 (एक) अंक होगा।

(v) परीक्षा की अवधि 2 घन्टा 15 मिनट की होगी।

(ख) प्रश्न पत्र 2: विषय—सामान्य ज्ञान

(i) इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।

(ii) प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान में विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी:—

(क) सामान्य अध्ययन — प्रश्नों की संख्या 50 होगी।

(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित — प्रश्नों की संख्या 50 होगी।

(ग) मानसिक क्षमता जाँच — प्रश्नों की संख्या 50 होगी।

(iii) सामान्य ज्ञान मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा।

b

(iv) प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 (एक) अंक होगा।

(v) परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी।

E. मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम:-

प्रश्न पत्र-1 : विषय-सामान्य हिन्दी

इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक (सेकेंडरी) स्तर के होंगे। इस परीक्षा के प्रश्न, हिन्दी भाषा में भावों की शुद्ध एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता, सहज बोधशक्ति के परीक्षण से संबंधित होंगे। जिसमें वाक्य, उपवाक्य, पदबन्ध, शब्द, अक्षर एवं विसर्ग, संधि, संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समानार्थक शब्द/विपरीतार्थक शब्द, हिन्दी के प्रचलित कथ्य एवं मुहावरों आदि से संबंधित हिन्दी भाषा एवं व्याकरण के प्रश्न होंगे।

प्रश्न पत्र-2 : विषय-सामान्य ज्ञान

खण्ड (क):- सामान्य अध्ययन:- इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें निम्नांकित के संबंध में यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:-

- सम-सामयिक विषय:- वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ इत्यादि।
- भारत और उसके पड़ोसी देश:- पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य एवं स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास एवं पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आन्दोलन।

खण्ड (ख):- सामान्य विज्ञान एवं गणित:- इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषयों से सम्बन्धित यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:-

- सामान्य विज्ञान:- भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल।
- गणित:- संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएँ, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि।

खण्ड (ग):- मानसिक क्षमता जाँच:- इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:-

सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या।

F. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में मुख्य परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34 (चौत्तीस) प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

G. मेधा सूची:- मुख्य परीक्षा के प्राप्तार्क एवं समान पद पर संविदा के आधार पर किये गये कार्यानुभव में प्राप्त अधिमानता के आधार पर ही आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार की जायेगी।

नोट:- इस विज्ञापन के अन्तर्गत प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

6. आरक्षण:-

- ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर परीक्षा के किसी भी स्तर/चरण में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
- आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-

(a) जाति प्रमाण-पत्र

(b) स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण-पत्र

(B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी/अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा।